समाचार

आमजन को जलकर में मिलेगी राहत

सम्पत्तिकर दाताओं से 200 रू. व गैर सम्पत्तिकर दाताओं से 60 रू. प्रतिमाह जलकर लेगा निगम

(महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत व आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय की पहल पर आमजनता की सुविधा हेतु मेयर इन काउंसिल ने लिया निर्णय)

(निगम के इस कदम से एक ओर आमनागरिकों को जलकर से मिलेगी राहत, तो दूसरी ओर समय पर हो सकेगी जलकर की वसूली, निगम के राजस्व में होगी वृद्धि)

कोरबा 12 नवम्बर 2025 –नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के आमनागरिकों को जलकर में बड़ी राहत मिलने जा रही है, निगम अब सम्पत्तिकरदाता घरेलू नल कनेक्शनधारियों से प्रतिमाह 200 रूपये एवं गैर सम्पत्तिकरदाताओं से प्रतिमाह 60 रूपये की राशि जलकर के रूप में लेगी। महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत एवं आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय की पहल पर निगम की मेयर इन काउंसिल ने आमजन की सुविधा के मद्देनजर उक्ताशय का निर्णय लिया है। निगम के इस कदम से एक ओर जहॉ आमनागरिकों को जलकर से राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर निगम की जलकर की वसूली पटरी पर आ सकेगी, समय पर वसूली होगी एवं निगम के राजस्व में वृद्धि होगी।

यहॉ उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी 07 जोन में स्थित वार्ड, बस्तियों, मोहल्लों, आवासीय व व्यवसायिक क्षेत्रों में नल कनेक्शन प्रदान कर पाईप लाईन के माध्यम से प्रतिदिन दो बार शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, इस हेतु निगम द्वारा पानी का उपचारित करने हेतु कोहड़िया में 79.81 एम.एल.डी. क्षमता के 04 जल उपचार संयंत्र संचालित किए जा रहे हैं, साथ ही निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में 02 नग एम.बी.आर. व 27 नग उच्च जलागार सहित कुल 29 ओव्हरहैड टैंक स्थापित कर एवं विभिन्न ब्यास के 792 किलोमीटर पाईप लाईन बिछाकर जल आपूर्ति का सिस्टम संचालित किया जा रहा है।

निगम क्षेत्र में हैं 53021 नल कनेक्शन – नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत समस्त वार्डो में कुल 53021 घरेलू नल कनेक्शन लगाए गए हैं, जिनमें से सम्पत्तिकर दाता नल कनेक्शनधारियों की संख्या 47832 एवं गैर सम्पत्तिकर दाता कनेक्शनधारियों की संख्या 5189 है। इस प्रकार 47832 घरेलू नल कनेक्शनों से प्रतिमाह 200 रूपये एवं 5189 घरेलू नल कनेक्शनों से प्रतिमाह केवल 60 रूपये का जलकर निगम प्राप्त करेगा।

मीटर के आधार पर नहीं हो पा रही जलकर की वसूली – निगम द्वारा प्रत्येक नल कनेक्शन में मीटर लगाए गए थे तथा पानी की खपत की मीटर से रीडिंग कर उसके आधार पर पानी की बिल तैयार करने व वसूली करने पर काम हो रहा है, किन्तु निगम के पास पर्याप्त कर्मचारी न होने से मीटर की रीडिंग प्रतिमाह नहीं हो पा रही थी तो वहीं दूसरी ओर कई माह की मीटर रीडिंग एक साथ लेने व उसके आधार पर बिल कनेक्शनधारियों को देने से उन पर अनावश्यक भार पड़ता था, उनके द्वारा जलकर की राशि जमा नहीं की जाती थी व निगम को राजस्व की हानि होती थी।

व्यवसायिक नल कनेक्शन हेतु 800 रू. जलकर – नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा व्यवसायिक कार्यो हेतु लगभग 95 नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, इन नल कनेक्शनों से नियमानुसार 800 रूपये प्रतिमाह जलकर की वसूली होगी, वहीं आवासीय सह व्यवसायिक नल कनेक्शनों से 350 रूपये प्रतिमाह जलकर की वसूली की जाएगी। इसी प्रकार जिन स्थानों में पानी की वल्क सप्लाई हेतु नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, उन स्थानों में मीटर की रीडिंग के आधार पर बिल जनरेट होगा तथा तदानुसार बिल की राशि वसूल की जाएगी।

किरायादारों को ही जमा करना होगा जलकर – जो भवन मकान या सम्पत्ति किराये पर दी गई है, उनके जलकर का भुगतान उक्त भवन मकान में रहने वाले किरायेदार को ही अनिवार्य रूप से करना होगा, प्रायः यह देखने में आता है कि किरायेदार यह कहकर बिल राशि देने से बचने का प्रयास करते हैं कि वे किरायेदार हैं, मकान का स्वामी बिल जमा करेगा, किन्तु निगम मकान भवन में रहने वाले व जल का उपयोग करने वाले किरायेदार से ही जलकर की राशि जमा कराएगा और उनका यह दायित्व भी बनता है।

<u>जोन कार्यालयों में जमा होगा जलकर</u> – आमनागरिकों की सुविधा एवं जलकर वसूली की सुचारू व्यवस्था के मद्देनजर निगम के सभी 07 जोन कार्यालयों में उपरोक्तानुसार जलकर की राशि जमा कराई जाएगी तथा जलकर की राशि को जमा करने के लिए आमनागरिकों को निगम के मुख्य कार्यालय साकेत भवन तक नहीं आना पड़ेगा, वे प्रतिमाह अपने जलकर की राशि का भुगतान अपने वार्ड से संबंधित जोन कार्यालय में सुगमतापूर्वक कर सकेंगे।